सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठीसीन अधिकारीः– रमेशदेव आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः– 575 / 2022
वाद–पत्र अन्तर्गत धाराः–88 आर.टी.ए
अवतीन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ए.एम.पी ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

–वादी

बनाम

1. नक्षत्र सिह पुत्र हरराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2ए.एम.पी ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. सुखजीत कौर पत्नि हरपाल सिंह पुत्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 के. आर.डब्ल्यु अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. पिन्द्रपाल कौर पुत्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
4. श्रीमान तहसीलदार राजस्व मोहदय संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
5. श्रीमान शाखा प्रबधंक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा दीनगढ तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री एस.एस.खोसा वकील वादी
2. श्री भीम पारीक– वकील प्रति सं.1ता3

–: **निर्णयः**–   दिनांकः– 8/6/2023

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1ता3 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील संगरिया मे चक 2 ए.एम.पी खाता संख्या 83 / 17 व चक 2 ए.एम.पी. खाता सख्या 84 / 77 व चक 3के.एस.डी खाता संख्या 58 / 14 अराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी सग्लन वाद पत्र है। वाद–पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित अराजी का वादी नें प्रतिवादीगण के साथ घरु विभाजन कर रखा है घरु विभाजन में चक 2ए.एम.पी खाता संख्या 83 / 17 मे 1615 / 4844 व इसी चक कि 2 ए.एम.पी खाता संख्या 84 / 77 में 1714 / 5143 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की समस्त हिस्सा कि अराजी प्राप्त हुई है। इसी अनुसार वादी का मौका पर शांति पूर्वक कब्जा काश्त मे चली आ रही है । कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही हैं। वादी उक्त कब्जा काश्त की अराजी का खातेदार काश्तकार हैं। इसी अनुसार वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एंवम दावेदार हैं। वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित अराजी पर वादी का घरु विभाजन के रोज से शान्तिपूर्वक निरन्तर व लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। इसी अनुसार वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एंवम दावेदार है। वादी में गत सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादी के हक व हिस्सा कब्जा काश्त की अराजी राजस्व रिकार्ड में अकंन करवा देवे प्रतिवादीगण ने आजकल –आजकल कर टाल–मटोल कर दिया यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1व 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना इकबालदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। इकबालदावा के साथ पक्षकारो की आईडी की चित्रप्रतिया स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रविवादी संख्या 4 स्टेट की ओर व प्रतिवादी संख्या 5 बैंक कि ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुऐ जिसे शामिल मिसल किये गये। साक्ष्य वादी मे वादी अवतीन्द्र सिंह ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है वकील वादी एंव

8/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
अधिकारी (SDO)

प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी एंव प्रतिवादी बन्द किये गये।

1. चक 2 ए.एम.पी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता नक्षत्र सिंह बगैरा प्रदर्श–1है।
2. चक 2 ए.एम.पी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता नक्षत्र सिंह बगैरा प्रदर्श–2है
3. चक 3 के.एस.डी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता नक्षत्र सिंह बगैरा प्रदर्श–3है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 2 ए.एम.पी खाता संख्या 83/17 व चक 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 84/77 व चक 3के.एस.डी खाता संख्या 58/14 खाता नक्षत्र सिंह में दर्ज है जो हमारी जददी जायदाद है बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है वाद–पत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वाद–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

दस्तावेजो को गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। जिससे वाद–पत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना होना साबित है वादी एंव प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत इकबालदावा पेश किया है दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है इकबालदावा इस निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। वाद वादी मुताबिक के इकबालदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अतः– वाद वादी मुताबिक सहमति इकबालदावा के आधार पर निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि:– चक 2 ए.एम.पी खाता संख्या 83/17 में 1615/4844 व 2ए.एम.पी खाता सख्या 84/77 में 1714/5143 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है इकबालदावा इस निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। पर्चा डिकी अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः–यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाणपत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांकः–8/6/2023को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/6/23

सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल भगतपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023)

मूल वाद में डिक्री

आदेश 20 के नियम 6 और 7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर संगरिया

पीठीसीन अधिकारी कैम्प कार्ट ~~भगतपुरा~~ दिनांक 23.05.2023

पीठीसीन अधिकारीः– **रमेशदेव आर.ए.एस**

प्रकरण संख्याः–**575/2022**

वाद–पत्र अन्तर्गत धाराः–88 आर.टी.ए

अवतीन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ए.एम.पी ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

–वादी

बनाम

1. नक्षंत्र सिह पुत्र हरराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ए.एम.पी ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. सुखजीत कौर पत्नि हरपाल सिंह पुत्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 के.आर.डब्ल्यु अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. पिन्द्रपाल कौर पुत्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
4. श्रीमान तहसीलदार राजस्व मोहदय संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
5. श्रीमान शाखा प्रबधंक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा दीनगढ तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आर.ए.एस के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री एस.एस.खोसा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण श्री भीम पारीक जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती हैः–चक 2ए.एम.पी खाता संख्या 83/17 1615/4844हिस्सा व खाता संख्या 84/77 1714/5143हिस्सा है आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त हिस्सा कि आराजी में से नाम कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

नोटः–उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति मे रहन मुक्त होने के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

8/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एंव 2023

उपखण्ड अधिकारी कैम्प भगतपुरा

शिविर संगरिया भगतपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदशो के स्टाम्प 4. ....रुपये पर.......रुपये पर लीडर की फीस 5. सक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रुपये	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	रुपय
जोड		जोड	